उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1391/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(219)-2021

लखनऊः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-837/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(07)-2017 दिनांक 30.06.2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 22 के समक्ष, स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" रख दी जायेंगी;

(ii) क्रम संख्या 43ख के समक्ष, स्तम्भ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सब्ज़ियाँ जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित रखी गयी हों, लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है" रख दी जायेंगी;

(iii) क्रम संख्या 49 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य नट्स, ताज़ा, जैसे बादाम, हेज़लनट्स या फ़िलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), अखरोट,चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी.), अरीका नट्स, पाइन नट्स, ताज़ा,चाहे कवच रहित या छिलका रहित हों या नहीं", रख दी जायेंगी।

(iv) क्रम संख्या 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:-

"97क	2009 89 90	टेंडर नारियल जल, जो यूनिट कंटेनर में रखे गए से भिन्न और,- (क) जिनका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम न हो; या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम न हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उसपर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के आधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहाँ के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कर्रवाई योग्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";

(v) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जाएंगी;

(vi) क्रम संख्या 141 के समक्ष, स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8807" रख दी जायेगी।

2. यह अधिसूचना तारीख 1 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव